APP-A
Crim-1

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जुगल किशोर पु० स्व० श्री बालकृष्ण ब्राह्मण, नि० सरवाडी गेट, पुराना शहर किशनगढ (अजमेर) बनाम रामेश्वरलाल पु० स्व० श्री मांगीलाल मीणा, नि० ग्राम फरासिया, तह० किशनगढ (अजमेर) व अन्य

किस्म मुकदमा परिवाद अन्तर्गत धारा 195 C.R.P.C. नम्बर 75/2021 सन् 2021 (किशनगढ)

2021/75

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री विक्रम प्रताप, पुरोहित श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइरा हुक्म की तामील जारी हुए
	जुगल किशोर बनाम रामेश्वर लाल	
3.3.2021	यह परिवाद श्री विक्रम पुरोहित एडवोकेट ने अन्तर्गत धारा 195 सी.आर.पी.सी0 वास्ते धारा 193, 120 बी. दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् पेश की है। परिवाद बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। परिवाद पर अहलमद की रिपोर्ट में प्रकरण के क्षेत्राधिकार हेतु बहस आवश्यक है के साथ रिपोर्ट की गई। सर्वप्रथम अभिभाषक परिवादी को परिवाद के क्षेत्राधिकार पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश क्षेत्राधिकार परिवाद दिनांक 18.03.2021को पेश हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
18.3.2021	पत्रावली वास्ते आदेश क्षेत्राधिकार परिवाद पेश की गई। अभिभाषक परिवादी ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगणो ने मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में जो एक प्रार्थना पत्रं अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के में जो कथन अभिलिखित किये गये है वे नितान्त गलत व झूठे व तथ्यों के विपरीत है। अंधियुक्तगणों ने उक्त प्रार्थना पत्र मे मियाद बाबत् जो तथ्य अभिलिखित किये गये है तथा उक्त प्रार्थनापत्र के साथ जो शपथ पत्र पेश किये गये है वे वास्तविक तथ्यों के विपरीत झूठे है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अनुसरण में एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, परिवादी का उक्त परिवाद स्वीकार किया जाकर अभियुक्तगणों के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाहियों में झुठे शपथ पत्र झूठी साक्ष्य गढ़ने के आशय से किये गये अपराध के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर दण्डात्मक सजा दिलवाये जाने के आदेश फरमावें। अभिभाषक परिवादी की बहस पर मनन किया गया एवं परिवाद व मान्नीय उच्चतम न्यायालय एवं मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। अभिभाषक परिवादी ने यह परिवाद धारा 195 सी.आर.पी.सी. वास्ते धारा 193, 120 बी दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अभिभाषक परिवादी ने धारा 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः प्रस्तुत परिवाद क्षेत्राधिकार में नही होने से प्रकरण अभिभाषक परिवादी को मूल ही लौटाया जायें। अभिभाषक परिवादी परिवाद को न्यायिक मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकार वाले में परिवाद प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	मूल पत्रावली समक्ष [illegible] प्राप्त [illegible]